



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी० सी० 12 बी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F55500

संदर्भ संख्या : /सी-1/एनओसी/जी-1003/2014

दिनांक

6-2-15

सेवा में,

मैसर्स सुधीर कुमार शर्मा,

डी-204, श्याम पार्क एक्सटेन्शन,

साहिबगढ़, गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण को दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-1/10/2014 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (सलगनक) के समुचित अनुपालन के साथ संशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1- अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा

है :-

(क) स्थल:- मैसर्स जेविन कान्सल्टेशन प्रा० लि०
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, खसरा नं० 986,
एवं 986, ग्राम मोरटी, राजनगर एक्सटेन्शन,
जिला-गाजियाबाद।

(ख) उत्पादन : 22247 वर्ग मी० क्षेत्रफल, गिल्डअप एरिया 900828.67 वर्ग मीटर पर

आवासीय परियोजना का निर्माण किया जायेगा

(ग) मुख्य कच्चे माल - बिल्डिंग मैटेरियल आदि

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा:- शून्य

घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:- 255 कि० ली०/दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन :- डी० जी० सेंट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 2- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पदार्थका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- 3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहनति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहनति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहनति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण सुनियोजित किया जाये।

(3)

मैसर्स जेविन कान्सल्टेशन प्रा० लि०, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, खसरा नं० १४६ एवं १६६,

ग्राम मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, जिला-गाजियाबाद

- 5- घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा 3.78 एम० एल० डी० से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावानुसार एस० टी० पी० को माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाये।
- 6- प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आवेदन की प्रति इस कार्यालय में 30.06.2015 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
- 7- मैसर्स जेविन कान्सल्टेशन प्रा० लि०, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, खसरा नं० १५६ एवं १६६, ग्राम मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, जिला-गाजियाबाद द्वारा २२२७४.०० वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया ६००६२६.६७ वर्गमीटर पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 8- संस्था प्रस्तावानुसार २५४ क० एल० डी० उत्प्रेषण के शुद्धिकरण हेतु २५५ क० एल० डी० क्षमता का एस० टी० पी० स्थापित किया जायेगा।
- 9- संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
- १०- सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम० एस० डब्ल्यू रूलस २००० के प्राविधानों के अनुसार किया जाये। म्युनिसिपल अधीनस्थिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
- ११- समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर छानि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार छिन्नी भी स्थापित की जाये।
- १२- संस्था द्वारा निम्नानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।
- १३- संस्था प्रस्तावानुसार रैन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- १४- संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधीनस्थिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त किया जाये।
- १५- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पौन्य वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
- १६- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी फॉर्म- एफ-५३३२०/सी-१/एन०ओसी०-जी-१००७/२०१४ दिनांक ३०/१२/२०१४ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अनुवृत्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामान्य शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुवर्णित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.8.2015 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय


सदस्य सचिव

मुद्रांकन सं०

/ एनओसी०

तद्विनीतः

प्रतिलिपि :

1. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-1)

अग्रवाल/-